

अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड

कठूमर जिला अलवर

ल नं. 2/198/2021

तारीख रजू.....

पूरणसिंह

बनाम

गोपाल वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.09.2021	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 न0 100, 102, 129, 147, 149, 287, 288, 290, 308, 309, 315, 316, 324,325, 348, 349, 370, 372, 59, 64, 65, 70, 72, 83, 86, 87, 88, 98, वाके ग्राम हनीपुर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति वनाये रखे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 30.11.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 30.11.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर जिला अलवर
कठूमर (अलवर) राज0

25/3/22

करीब कारी उपस्थित 1
राष्ट्रीय आरक्षण दिनांक 30.11.21
की पालना में पर्याप्त जासो 18.12.21
दिनांक 26/12/22 को

उपस्थित अधिकारी
कटूमर (अलवर)

Not Process

25.12.22
26.12.22

करीब कारी को करीब कारी सपने पाठपत्र
अनुसंधान के अंतर्गत पालना की जा रही है अर्थात्
न्याय के पाठपत्र अनुसंधान के अंतर्गत करीब कारी
होकर पाठपत्र अनुसंधान करीब कारी के अंतर्गत
पाठपत्र में शामिल किया जाता है पत्रावली में प्रकाश
सुधार के माध्यम से करीब कारी को करीब कारी के माध्यम से
के माध्यम से करीब कारी

उपस्थित अधिकारी
कटूमर (अलवर)